

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर

क्रमांक - ई 11/नर्सिंग/नर्स 2/एसीपी/ए 950/2019/

दिनांक

—आदेश—

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 15 (1) एफ डी/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 एव 09.12.2017 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये निम्नलिखित नर्स द्वितीय जिन्होंने 09 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से पे मेट्रिक्स लेवल स्वीकृत की जाती है

क्र.स.	कर्मचारी का नाम	पदस्थापन जिला	प्रथम नियुक्ति तिथि	दिनांक एव पूर्ण सेवावधि	देय पै ब्रेण्ड एसीपी/पे -मेट्रिक्स लेवल प्राप्त	देय ग्रेड-पे/पे - मेट्रिक्स लेवल
1	विनोद कुमार	जालौर	22.07.2000	22.07.2018 18 वर्ष	1-11	1-12
2	मागीलाल परिहार	बाडमेर	23.04.2008	23.04.2017 9 वर्ष	1-11	1-12
3	राजीव उपाध्याय	करौली	11.08.2009	11.08.2018 9 वर्ष	1-11	1-12
4	फतेहिह	करौली	11.08.09	11.08.18 9 वर्ष	1-11	1-12
5	विजय कुमार शर्मा	करौली	11.08.09	11.08.18 9 वर्ष	1-11	1-12
6	बीरगदेव ज्याणी	पाली	11.08.09	11.08.18 9 वर्ष	1-11	1-12

नोट— उक्त कर्मियों में यदि किसी कर्मिक के दिनांक 01.06.2002 वं पश्चात तीसरी सतान हुई है तो यह आदेश उन पर लागू नहीं होगा।

—sd—
(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक- ई-11/नर्सिंग/नर्स 2/एसीपी/ए 950/2019/436
प्रतिलिपि निम्न को सूचनाार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

दिनांक 22-04-19

- 1 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालौर/बाडमेर/पाली।
- 2 प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राज विहिण्डौन सिटी(करौली)।
- 3 संबंधित ब्रेण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
- 4 संबंधित चिकित्सा अधिकारी प्रभासी, सीएनसी/पीएचसी।
- 5 संबंधित कर्मचारी द्वारा उसके प्रशासनिक अधिकारी।
- 6 प्रभासी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
- 7 आदेश/निजी पत्रावली।

—sd—
(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर